

(सिर्फ कार्यालय में व्यवहार के लिए)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड राज्य के वन प्रमंडलों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2023 - 24



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड
रांची - 834002

(सिर्फ कार्यालय में व्यवहार के लिए)



**झारखण्ड राज्य के वन प्रमंडलों की कार्य प्रणाली
की वार्षिक समीक्षा
वर्ष 2023-24**



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड,

रांची-834002

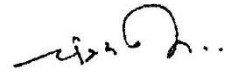
प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1, के कंडिका 9.10 के प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वन विभाग के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा तैयार की जाती है।

वन लेखा प्रणाली, लेखा की सामान्य प्रणाली का एक अभिन्न भाग है। संकलनकर्ता की ओर से इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वन प्रभागों द्वारा चरणबद्ध वर्गीकृत सार तक के संकलित लेखे महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत हो। वन प्रभागों द्वारा संकलित लेखे महालेखाकार कार्यालय में समेकित किये जाते हैं, जिन्हें अंत में एक बड़े लेखांकन प्रपत्र में एकीकृत किये जाते हैं।

यह समीक्षा वन विभाग के कार्यों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उनके द्वारा रखे गए प्रारंभिक एवं सहायक लेखों की स्थिति के संबंध में जानकारी देती है।

इस समीक्षा का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के वन प्रभागों/अंचलों के लेखाओं के रख-रखाव एवं लेखांकन में परिलक्षित अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को इंगित करके उनमें आवश्यक सुधार करना है तथा कर्मियों के प्रमुख क्षेत्रों को इस उद्देश्य के साथ उजागर करना है कि कार्यकारी अधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु सूचक उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा में, यदि महत्वपूर्ण अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। इस समीक्षा की अभिवृद्धि के लिए हम सुझावों/संस्तुतियों का स्वागत करते हैं।



(चंद्र मौलि सिंह)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०)

झारखण्ड, रांची

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	वन विभाग की संगठनात्मक संरचना, समीक्षा का कार्य क्षेत्र	1
अध्याय-2	विलंब से मासिक लेखे को जमा करना	2 - 4
अध्याय-3	गलत वर्गीकरण एवं अशुद्ध लेखाकरण (व्यय का गलत/अशुद्ध वर्गीकरण, प्राप्तियों एवं व्यय का गैर समाधान/मिलान न करना	5 - 7
अध्याय-4	वन प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक असमायोजित शेष	8
अध्याय-5	संस्तुतियां/सुझाव	9
अध्याय-6	कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली	10 - 12
अध्याय-7	केन्द्रीय एवं स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा पाई गई अनियमितताएं	13 - 23
अनुबंध-	“क”	24 - 34
	“ख”	35 - 37

अध्याय-1

1.1. वन विभाग की संगठनात्मक संरचना, समीक्षा का कार्य क्षेत्र

झारखण्ड राज्य के वन विभाग के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण का संचालन प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा होता है वन विभागों का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची हैं, जिनकी सहायता निम्न पदाधिकारियों द्वारा होती है :-

❖ एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची ।

❖ एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची ।

❖ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 10 (दस)

❖ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक 06 (छह)

❖ मुख्य वन संरक्षक 09 (नौ)

❖ वन संरक्षक 21 (इक्कीस)

❖ उप वन संरक्षक 39 (उनचालीस)

❖ सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी 91 (इक्यानवे)

1.2 समीक्षा की आवश्यकता

प्रस्तुत समीक्षा में झारखण्ड के 113 वन प्रभाग/प्रमंडल सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची को मासिक लेखा समर्पित किया जाता है । मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान जो अशुद्धियाँ पाई गई हैं, उन्हें क्रमवार इस समीक्षा पुस्तक में दर्शाया गया है एवं अगले अध्यायों में समीक्षा का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है ।

अध्याय-2

2.1 विलंब से मासिक लेखा जमा करना

2.1.1 लेखा संहिता भाग-III में उद्धृत अनुच्छेद 288 के अनुसार वन प्रमंडलों के पदाधिकारियों द्वारा प्रति माह संकलित मासिक नगद लेखा, राजस्व एवं व्यय का वर्गीकृत सारांश, अनुसूचियां एवं सार पत्र अगले माह की 5 तारीख तक तथा मार्च माह के मासिक लेखे को 12 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जाना है। यद्यपि वर्ष 2023-24 के दौरान मासिक वन लेखा समयावधि के अंदर भेजने में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु विगत वर्ष की तुलना में यह पाया गया है कि अभी भी कुछ प्रमंडलीय वन पदाधिकारीगण समयानुसार मासिक लेखा समर्पित नहीं कर रहे हैं। महालेखाकार को विलंब से भेजे गए मासिक लेखाओं का वर्गीकृत सार अनुबंध “क” में दर्शाया गया है।

वर्ष 2023-24 में वन प्रमंडलों/अंचलों द्वारा भेजे गए मासिक लेखाओं का विवरण

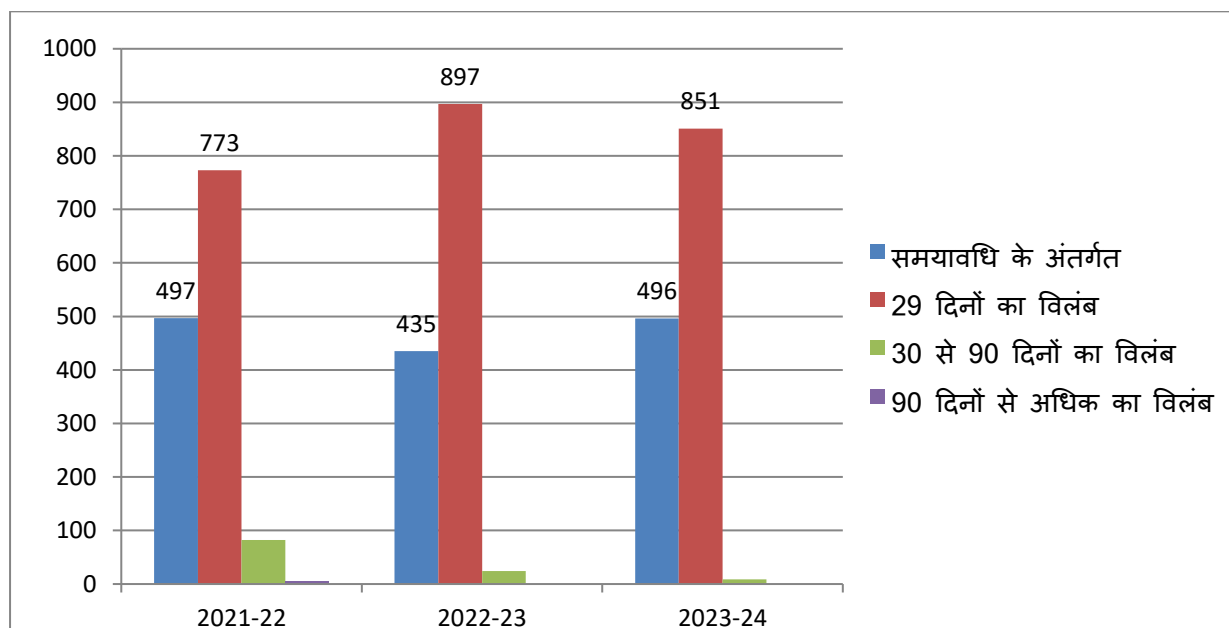
माह	कुल लेखाओं की संख्या	नियत तिथि पर प्राप्त लेखाओं की संख्या	नियत तिथि के बाद किन्तु लेखा बंद होने के पूर्व प्राप्त लेखाओं की संख्या	लेखा बंद होने के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की संख्या	विलंब से प्राप्त लेखाओं का प्रतिशत	लेखा बंद होने के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का प्रतिशत
अप्रैल	113	44	69	00	61.06	00
मई	113	47	62	04	58.41	3.54
जून	113	59	53	01	47.79	0.88
जुलाई	113	48	65	00	57.52	00
अगस्त	113	35	77	01	69.02	0.88
सितम्बर	113	35	75	03	69.02	2.65
अक्टूबर	113	40	67	06	64.60	5.31
नवंबर	113	44	68	01	61.06	0.88
दिसम्बर	113	38	73	02	66.37	1.77
जनवरी	113	31	81	01	72.57	0.88
फरवरी	113	32	74	07	71.68	6.19
मार्च	113	43	70	00	61.95	00
कुल	1136	496	834	26	63.42	1.91

2023-24 में भेजे गए मासिक लेखे

	समयावधि के अंतर्गत	29 दिनों का विलंब	30 से 90 दिनों का विलंब	90 दिनों से अधिक का विलंब	कुल
लेखाओं की संख्या	496	851	09	0	1356
प्रतिशत में	36.58	62.76	0.66	0	100

विलंब से प्राप्त मासिक लेखाओं का विगत तीन वर्षों का प्रतिशतवार आंकड़ा

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
समयावधि के अंतर्गत	497 (36.65%)	435 (32.08%)	496 (36.58%)
29 दिनों का विलंब	773 (57.01%)	897 (66.15%)	851 (62.76%)
30 से 90 दिनों का विलंब	82 (6.05%)	24 (1.77 %)	9 (0.66%)
90 दिनों से अधिक का विलंब	4 (0.29%)	0	0



वर्षवार तुलनात्मक विवरण

2.1.2 प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों द्वारा विलंब से मासिक लेखा भेजने की सूचना वन विभाग के पदाधिकारियों तथा झारखण्ड सरकार के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को नियमित रूप से दिया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में मासिक लेखा समयावधि के अंतर्गत भेजने की दिशा में कुछ सुधार अवश्य पाया गया है परन्तु संतोषप्रद नहीं है ।

2.1.3 विलंब से मासिक लेखा भेजने का प्रभाव राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों पर पड़ता है क्योंकि विलंब से प्राप्त हुए मासिक लेखे को संबंधित माह के राज्य लेखे में शामिल नहीं किये जाने पर उस माह में राज्य लेखे का वास्तविक व्यय परिलक्षित नहीं हो पाता है ।

विलंबित लेखा का प्रत्यक्ष प्रभाव महालेखाकार की वार्षिक लेखा की समाप्ति पर विनियोग एवं वित्त लेखे तैयार करने की प्रक्रिया एवं अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय पर भी पड़ता है | इसके आधार पर ही व्यय प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं |

2.1.4 झारखण्ड सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ ऐसा ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय में समय पर प्राप्त हो |

क- **मासिक लेखे के साथ संलग्न कागजातों में कमी :**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया |

ख- **मार्च के अंत तक आपत्ति के अंतर्गत दर्शायी गई राशि का विवरण :-**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया |

अध्याय-3

गलत वर्गीकरण एवं अशुद्ध लेखाकरण

मासिक लेखा के संकलन के दौरान कुछ कमियां चिन्हित की गई हैं, जो निर्धारित लेखा विधि के अनुसार नहीं हैं | चिन्हित की गई कमियां निम्नलिखित हैं :-

3.1 आयकर/बिक्रीकर की वसूलियां -

वेतन और ठेकेदारों के बिल से वसूली की गई आयकर एवं बिक्रीकर की राशियों को नकद खाते के प्राप्ति कॉलम के शीर्ष “8658-112” स्रोतों से वसूली गई कर को 0021-आयकर एवं 0040-बिक्रीकर के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए | तत्पश्चात विपत्र की शुद्ध राशि नकद खाता के व्यय कॉलम में मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए | इस तरह से, जो राशि वसूली की जाती है, उसे कोषागार में ही आर फॉर्म संख्या 7 के द्वारा वर्गीकृत करके शीर्ष 8782-00-103 के अंतर्गत भेजा जाना चाहिए न कि सीधे तौर पर शीर्ष 0021-आयकर एवं 0040-बिक्री कर के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए |

3.2 झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर की वसूलियां -

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले भुगतान पर प्रमंडलों/अंचलों द्वारा 2.50 लाख से ऊपर के मूल्य पर संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों से GST-TDS (CGST, SGST, IGST) की कटौती की जानी है, तत्पश्चात इस राशि की कटौती कर GSTN Council को प्रेषित किया जाना है |

परन्तु मासिक लेखाओं को देखे जाने पर यह प्रतीत होता है कि अधिकांश प्रमंडल/अंचल उक्त नियम का अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं |

3.3. मजदूरी मद में भुगतेय राशि का भुगतान

योजना अंतर्गत मजदूरी मद में भुगतेय राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से किया जाना तय है एवं सभी भुगतान DBT एवं सीधे बैंक श्रमिकों के खाते के माध्यम से किया जाना है, तथा ऐसे पेमेंट एडवाइस की प्रति विपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत किया जाना है | परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कई प्रमंडल/अंचल विपत्र के साथ पेमेंट एडवाइस भेजना आवश्यक नहीं समझते |

कई प्रमंडलों द्वारा बैंक पेमेंट आर्डर तो भेजा जाता है, परन्तु उन सभी में निम्न त्रुटियाँ पाई जाती हैं :-

1. आर्डर नंबर एवं दिनांक का नहीं पाया जाना ।
2. जिस भी मस्टर रोल के तहत पेमेंट किया जा रहा है, उसकी संख्या अंकित नहीं रहना ।
3. मानव दिवस का अंकित न होना ।

3.4 लेजर लेखा में पदनाम से प्रविष्टि किया जाना

लेजर लेखा में प्रविष्टि व्यक्तिगत नाम से होना चाहिए न कि पदनाम से, परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा के लेजर लेखा में पदनाम से प्रविष्टि किया जाता है जिसके फलस्वरूप बकाये राशि की सकल गणना कठिन हो जाती है ।

3.5 प्राप्तियों एवं व्ययों का त्रैमासिक पुनर्मिलान/मिलान न करना -

वन विभाग के प्रभागीय पदाधिकारिगण द्वारा समर्पित संकलित मासिक लेखाओं को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में दर्ज किया जाता है । महालेखाकार कार्यालय में दर्ज प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान विभागीय आंकड़ों के साथ किया जाना अत्यावश्यक है जिससे राज्य सरकार के लेखे में लेखाशीर्षों के अंतर्गत वास्तविक आंकड़े परिलक्षित हो सके ।

नियमित एवं समय पर “प्राप्तियों एवं व्ययों” दोनों आंकड़ों के मिलान को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रमंडलीय पदाधिकारियों को त्रैमासिक मिलान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा लेखा का त्रैमासिक मिलान निम्नलिखित अनुसूची/सारणी के अनुसार किया जा सकता है :-

क्रम सं	त्रैमासिक लेखे की अवधि	पुनर्मिलान/मिलान की निर्धारित अवधि
1	प्रथम- अप्रील से जून	1 अगस्त से 31 अगस्त तक
2	द्वितीय- जुलाई से सितम्बर	1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक
3	तृतीय- अक्टूबर से दिसंबर	1 फरवरी से फरवरी के अंत तक
4	चतुर्थ - जनवरी से मार्च	1 मई से 31 मई तक

प्रमंडलीय पदाधिकारियों के द्वारा पुनर्मिलान/मिलान की स्थिति निम्न है -

त्रैमासिक	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक
कुल वन प्रमण्डल	113	113	113	113
प्रेषण	113	113	113	113

3.6 निम्नलिखित स्थापनाओं का वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर ठेकेदारों एवं संवितरकों के खातों में असमायोजित वन अग्रिम की राशि का विवरण निम्न है-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में असमायोजित वन अग्रिम की राशि का विवरण

क्रम सं०	प्रमंडल कोड	प्रमंडल/अंचल का नाम	असमायोजित वन अग्रिम की राशि
1.	DGRFOR194	वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर	12,69,729.00
2.	DMKFOR001	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	5,80,880.95
3.	DMKFOR233	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका	1,27,718.00
4.	DRNFOR189	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, रांची	3,78,972.00
5.	DRNFOR263	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची वन प्रमंडल, रांची	53.73
6.	GMLFOR121	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला	4,86,311.26
7.	GRDFOR284	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	318898.00
8.	GRHFOR131	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा (दक्षिणी) वन प्रमंडल, गढ़वा	17,62,159.48
9.	HZBFOR058	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	18,56,355.00
10.	HZBFOR105	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, हजारीबाग पश्चिमी	8,07,955.00
11.	JSRFOR268	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	738.14
12.	JSRFOR269	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	39,90,367.90
13.	KDMFOR229	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	23,75,706.02
14.	KDMFOR230	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल, कोडरमा	2,14,183.00
15.	KHNFOR226	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी	1,00,128.00
16.	LTRFOR236	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	13,38,303.00
17.	PLMFOR287	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	63,86,130.15
18.	SGHFOR089	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	85,786.00
19.	SGHFOR090	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	41,50,620.07
20.	SGHFOR140	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	36,217.40
		कुल राशि	26267212.10

अध्याय-4

वन प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक असमायोजित शेष

लेखा संहिता खंड-III के अनुच्छेद 2 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नियमावली के स्थायी आदेशों (लेखा एवं हकदारी) खंड-1 के सन्दर्भ में सभी वन पदाधिकारियों को चेक के आहरण की मासिक पंजी, भंडारों/राजकोष के लिए विप्रेषण की अनुसूची और निर्धारित प्रपत्र में विवरण की प्रति महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक माह में भुनाए गए चैकों एवं भंडार/राजकोष में विप्रेषण विधिवत सत्यापित विवरण पर आधारित होनी चाहिए। किन्तु वन प्रमंडलों द्वारा उपरोक्त विवरण मासिक नकदी लेखा के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च को असमायोजित शेष संचित हो जाता है। पिछले तीन वर्षों का विवरण नीचे दिया गया है :-

“8782-103 वन-प्रेषण की स्थिति”

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (राशि करोड़ में)	प्राप्तियां (राशि करोड़ में)	भुगतान (राशि करोड़ में)	अंतशेष (राशि करोड़ में)
2021-22	15.20	641.21	674.91	-18.50
2022-23	-18.50	988.53	960.07	9.96
2023-24	9.96	1225.23	1194.85	40.34

इस प्रकार का संचय सार्वजनिक धन का अनियमित आहरण एवं गबन को प्रेरित करता है। यह मामला राज्य सरकार के साथ समय-समय पर उठाया जाता रहा है, लेकिन इस सन्दर्भ में कोई ठोस सुधार नहीं देखा गया है। समेकित राजकोष प्राप्तियों एवं मासिक खातों के साथ चैकों के समेकित राजकोष मुद्दों के लंबित एवं वर्तमान विवरण के प्रतिपादन को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल एवं प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए ताकि बकाये समेकित शेष को स्पष्ट भुगतान करने के लिए इस कार्यालय को सक्षम बनाया जा सके। इसके साथ ही सही आहरण एवं चैक तथा राजस्व की जमा राशियों के नकदीकरण को सुनिश्चित क्या जा सके।

अध्याय-5

संस्तुतियां/सुझाव

वन लेखांकन की प्रणाली में सुधार करने हेतु निम्न संस्तुतियां/सुझाव दिए गए हैं :-

1. भविष्य में मासिक लेखा का समय पर प्रस्तुतीकरण विशेषकर मार्च माह के लेखाओं का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।
2. खातों में व्यय एवं प्राप्त संबंधी आंकड़ों के गलत वर्गीकरण एवं अशुद्धियों से बचने के लिये आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा बिल/वाउचर/चालान इत्यादि में सही वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाना ।
3. इस कार्यालय की समय-समय (मासिक-त्रैमासिक) पर एवं वार्षिक विभागीय आंकड़ों के सन्दर्भ में लेखा बही में प्रदर्शित होने वाले वास्तविकता के सत्यापन को पूरा करने हेतु नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किया जाय ।
4. विप्रेषण एवं चेक जारी किये/भुनाए गए विलंबित विवरणों में, राजकोष में, जो कि काफी समय से लंबित है और जिसके परिणामस्वरूप असमायोजित शेष के प्रपत्रों के अनुसार अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु तात्कालिक उपाय किये जाने चाहिए ।
5. केन्द्रीय तथा स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई वैसी ही सामान अनियमिताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाय ।
6. मासिक लेखाओं के साथ विवरणी- । एवं II को प्रस्तुत करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए, साथ ही अनुसूची के साथ भुनाए गए चेकों एवं कोषागार में प्रेषित चालानों की विस्तृत विवरणी अनिवार्य रूप से संलग्न रहनी चाहिए ।
7. कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) के अंतर्गत लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण 2020-21 में किया जाना था । कुछ वन प्रभागों द्वारा लेखाकरण का कार्य आरम्भ किया गया है किन्तु वन विभाग द्वारा इस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है ।
8. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जानी है ।

साथ ही वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण (JCB, Tractor etc.) जिसका इस्तेमाल भूमि संबंधी कार्यों के लिए किसी बाह्य स्रोतों से किराए/अनुबंध पर लेकर किया जाना है, का इस्तेमाल निविदा आमंत्रित करने के पश्चात किया जाना है । परन्तु यह देखा गया है कि मासिक लेखाओं में ऐसे कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाते हैं, जिससे यह तय करना कठिन हो जाता है कि निविदा आमंत्रित भी की गई या नहीं ।

अध्याय-6

कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS)

कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण 2023-24 में किया जाना था, जिसमें कुछ वन प्रभागों द्वारा लेखाकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है, उसका विवरण निम्न है :-

माह	कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत लेखाओं का संकलन करने वाले प्रमंडलों/अंचलों की संख्या
अप्रैल	94
मई	93
जून	93
जुलाई	93
अगस्त	93
सितम्बर	89
अक्टूबर	89
नवंबर	89
दिसंबर	88
जनवरी	88
फरवरी	88
मार्च	89

वर्ष 2023-24 में कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत लेखाओं का संकलन करने वाले प्रमंडलों/अंचलों का पूर्ण विवरण अनुबंध-ख में उल्लिखित है ।

कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) का विवरण

केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल परियोजनाओं के व्यय की गुणवत्ता की निगरानी और बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर दिए गए जोर को ध्यान में रखते हुये, सीडैक, पुणे ने ऐसी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की निगरानी हेतु एक सामान्य ढांचा विकसित करने का प्रयास किया । यह प्रणाली केंद्रीकृत वास्तुकला पर आधारित समाधान के रूप में परिणत हुआ, जो कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) के रूप में ज्ञात है । सूचना प्रौद्योगिकी एवं इ-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, सरकार ने सीडैक, पुणे के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड राज्य में इस एप्लीकेशन को लागू करना शुरू किया और वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसे आरम्भ कर दिया । यह प्रणाली एक विशिष्ट निर्माण परियोजना

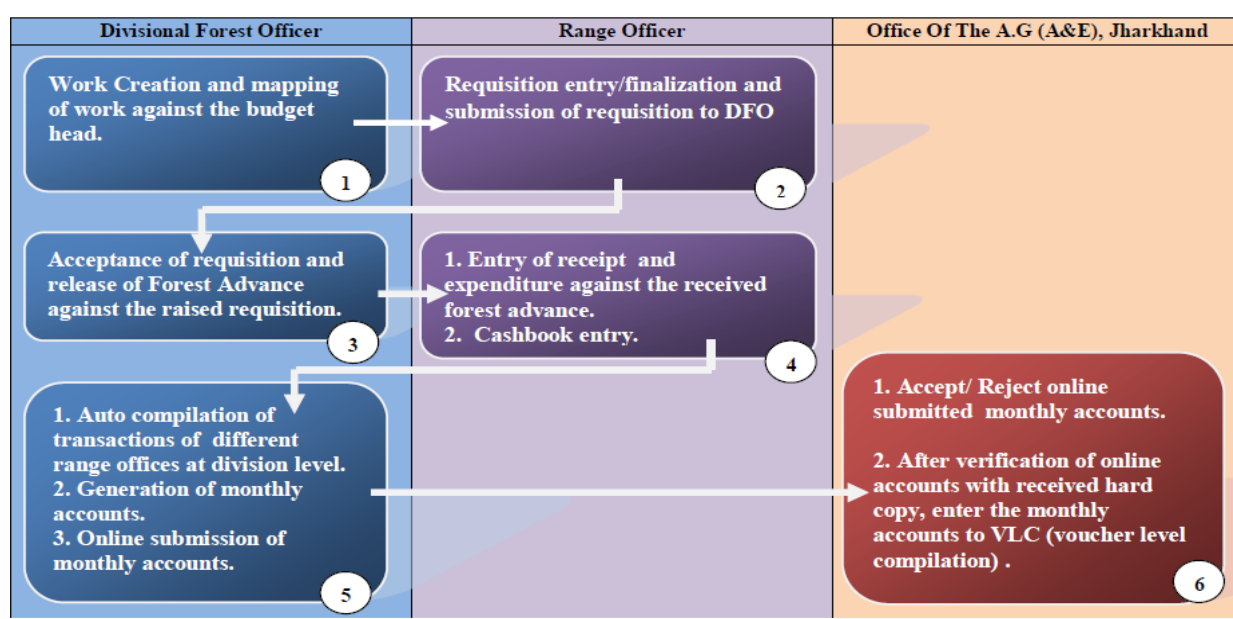
के पूरे जीवन चक्र को इसके प्रारंभ से लेकर अंतिम समापन तक शामिल करती है। यह प्रणाली कार्य प्रवाह सक्षम है और इसमें नीचे वर्णित माड्यूल के रूप में विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक शामिल हैं।

1. **संबद्ध एजेंसियों और लाइन विभाग के साथ एकीकरण-** WAMIS को अन्य लाइन विभागों या नोडल एजेंसियों के साथ एकीकरण पहलुओं का व्यापक अध्ययन करते हुए विकसित किया गया है, जिससे वास्तविक समय में राजस्व एवं व्यय के ऑनलाइन समाधान की सुविधा मिलती है। साथ ही WAMIS को ट्रेजरी सिस्टम कुबेर (KUBER) और महालेखाकार कार्यालय के लेखांकन प्रणाली VLC (वाउचर लेवल कम्पाइलेशन) के साथ एकीकृत किया गया है।

2. **लेखा प्रबंधन प्रणाली** - यह एक वाउचर आधारित लेखा प्रणाली है जो एक विशिष्ट डी०डी०ओ० कार्यालय में सभी वित्तीय लेन-देनों को दर्ज करती है। यह प्रणाली कैशबुक सहित सभी प्रासंगिक अनुसूचियां उत्पन्न करती है, जिन्हें हर महीने के अंत में महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किये जाने की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली सी.पी.डब्ल्यू.डी.ए. कोड पर आधारित है लेखांकन उद्देश्यों के लिए विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के लिए निर्धारित किया गया है।

3. **प्रबंधन सूचना प्रणाली** - एक व्यापक एम.आइ.एस. डैशबोर्ड के रूप में विकसित किया गया है जो विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देता है तथा उसे विभाग के सभी कार्यालयों के लिए संकलित किया गया है। बजटीय अनुदान, एम.बी.रिकॉर्डिंग और निर्धारित समय सीमा के विरुद्ध विभिन्न मापदंडों, जैसे - लेखाशीर्ष, योजनाओं/कार्यक्रमों, उपयोगकर्ता विभागों, बुनियादी ढांचे के प्रकार, आवंटन, परिभाषित भौतिक दायरे आदि के अंतर्गत विश्लेषण किया जाता है।

4. WAMIS में कार्य प्रवाह



5. WAMIS एप्लीकेशन का उद्देश्य

- वित्तीय स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति का आकलन करना |
- वैधानिक सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में बजट अनुमान, मासिक लेखा और बही खाता तैयार करना |
- बजट के अनुसार प्राप्त अनुदान/आवंटन के विरुद्ध व्यय का आकलन करना |
- विभाग के व्यक्तिगत कार्यात्मक विंग की दक्षता में वृद्धि करना |
- जानकारी साझा करना तथा जहाँ उचित एवं संभव हो, संघीय, राज्य एवं स्थानीय डेटा को एकीकृत करना |
- डिजिटल रूप से डेटा जमा करना और ऑनलाइन समाधान हेतु अन्य संबंधित विभागों/नोडल एजेंसियों जैसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, झारखण्ड और राज्य के कोषागारों की प्रणालियों के साथ एकीकरण करना |
- डेटा संग्रह में समेकन को बढ़ावा देने और सक्षम करने वाले सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाकर व्यवसायों पर बोझ कम करना |
- सफलता के उपायों को परिभाषित करना और नियमित रूप से निगरानी करना और प्रदर्शन को मापना |

6. प्रभाव

- कई योजनाओं में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के विभिन्न खातों में अप्रयुक्त पड़ी भारी धनराशि का उचित उपयोग |
- रिलीज और व्यय के बीच का समय अंतराल सिस्टम में एक फ्लोट बनाता है, जिसमें “वहन लागत” होती है | अनुमान के अनुसार यह “वहन लागत” हजारों करोड़ से अधिक हो सकती है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है |
- बजटीय अनुदान के विरुद्ध व्यय का मिलान |

अध्याय-7

वन, पर्यावरण विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के प्रमंडल/अंचल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताएं :-

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
1	01/2023-24	सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का कार्यालय		OBS-680564	वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन		
					i) झारखण्ड सरकार को केन्द्रीय हिस्से के 199 लाख रुपये से वंचित करना		199.00
					ii) समिति की बैठक का न होना		
				OBS-682435	प्रोजेक्ट टाइगर योजना का कार्यान्वयन		
					क) प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक आवंटन		
				OBS-681073	चार जिलों में वन क्षेत्र में 4.05 वर्ग किलोमीटर की कमी आई		
				OBS-683036	केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन न होना		
				OBS-683346	विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं को दिए गए अनुदान में अनियमितताएं		
					क) अनुदान प्राप्तकर्ता एजेंसी/संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित खाता प्रस्तुत नहीं किया जाना		
					ख) व्यय के आंकड़ों में विसंगति		
					ग) झारखण्ड राज्य वन विकास निगम को सहायता अनुदान का आवंटन		
					घ) एजेंसी द्वारा पहले से आवंटित निधि का उपयोग किये बिना अनुदान जारी करना		
				OBS-683625	राज्य योजना के अंतर्गत आवंटित निधि का गैर उपयोग/खराब उपयोग		
				OBS-683956	जनशक्ति की कमी		
				OBS-684763	राज्य योजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सहभागी वन प्रबंधन परियोजना		
				OBS-684836	वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता		
2	07/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर		OBS-718675	आर.एफ.ओ. को दिए गए वन अग्रिम का समायोजन न किया जाना		
				OBS-722243	वाउचरों में अनियमितताएं		

		प्रमंडल, पलामू		OBS-719084	सरकारी राजस्व की वसूली न होना रु. 11.94 लाख		11.94
				OBS-718687	प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी मंजूरी के बिना कार्य का निष्पादन।		
				OBS-719250	वन क्षेत्रों का सीमांकन न किया जाना।		
				OBS-723335	जब्त/अधिकृत वाहनों का निपटान न करना।		
				OBS-725603	बिना निविदा/कोटेशन के कार्य का निष्पादन।		
3	23/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चाईबासा		OBS-855091	सरकारी राजस्व की वसूली न होना।		
				OBS-857711	जब्त/अधिकृत वाहनों का निपटान न करना।		
				OBS-876327	निविदा/कोटेशन के बिना कार्यों का निष्पादन।		
				OBS-876335	वाउचरों में अनियमितताएं।		
					i) क्वार्टर शीट के साथ बिल संलग्न नहीं है।		
					ii) बिना सीरियल नंबर का बिल।		
					iii) हस्तलिखित सीरियल नंबर वाला बिल।		
					iv) खरीदी गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई।		
				OBS-877161	कैम्पा और राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत निधि का उपयोग न किया जाना।		
				OBS-877593	वन अग्रिम (Forest Advance) का समायोजन (Adjustment) न किया जाना।		
				OBS-877805	प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में घोषित न करना।		
				OBS-878299	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा 132 के.वी. डीसी चाईबासा-मनोहरपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के लिए एचपीसी द्वारा लगाई गई शर्त का पालन न करना।		
				OBS-878300	चरण-1 अनुमोदन में केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्त का अनुपालन न करना।		
4	24/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो	OBS-940802		सी.सी.एल. की अमलो ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना (22.324) से 7.57 करोड़ रुपये की एनपी, सीए एवं अन्य करों की वसूली नहीं हुई।	757.00	
			OBS-933962		उपयोगकर्ता एजेंसी इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड (ई.एस.एल.) द्वारा चरण-		

5					1 अनुमोदन की शर्त का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चरण-1 मंजूरी के अनुमोदन को रद्द कर दिया गया।		
				OBS-902276	जब्त वनोपज का निपटान न होने से राजस्व अवरोधन 151.87 करोड़ रुपये		151.87
				OBS-902273	अवैध चराई, गोलीबारी और आरा मिल से राजस्व की हानि 261.12 लाख रुपये		261.12
				OBS-938642	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों को ढुलाई प्रभार/कार्य निष्पादन का अनियमित भुगतान		
				OBS-938632	अपंजीकृत/अमान्य एजेंसियों/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सेवाओं के कारण अनियमित एवं संदिग्ध व्यय हुआ।		
				OBS-902306	अभियोजन रिपोर्ट को डिविजन को प्रस्तुत करने में देरी।		
				OBS-912912	बकाया ए.सी. बिल 51.75 लाख रुपये		51.75
				OBS-913547	जब्त/जब्त वाहनों का निपटान न होने के कारण राजस्व अवरोधन।		
				OBS-914498	अधिसूचित वन भूमि का सीमांकन न किया जाना तथा वन क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का संदेह।		
				OBS-914513	गैर वन-भूमि को वन भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।		
				OBS-937282	वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव को रद्द न करना।		
				OBS-938650	जी.एस.टी./आई.टी.और रोयल्टी पर टी.डी.एस. की कटौती न करना।		
	26/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा, चाईबासा		OBS-941689	सरकारी राजस्व की वसूली न होना।		
				OBS-934845	खनन नियमों का पालन न करने कारण जुर्माना न लगाया जाना।		
				OBS-941659	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की खरीद।		
				OBS-935101	स्रोत पर कर की कटौती न करना।		

				OBS-933311	चरण-1 में निर्धारित शर्तों का पालन न करना ।		
				OBS-934489	CAMPA के तहत गैर उपयोग निधि ।		
				OBS-935094	बिना निविदा/कोटेशन के कार्य का निष्पादन ।		
				OBS-937790	जब्त/अधिकृत वाहनों का निपटान न करना ।		
				OBS-938468	प्रतिपुरक वनरोपण के लिए गैर वन-भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित न करना ।		
6	29/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़		OBS-955358	ड्वार्फ वृक्षारोपण के क्रियान्वयन में देरी और सरकारी धन का अवरोध।		
				OBS-952500	बिना समर्थन बिल के वाउचर पारित करना ।		
				OBS-955340	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के माध्यम से की गई खरीद/सेवाएं।		
				OBS-952448	रोयल्टी की कटौती नहीं की गई रु.11,56,557/-		11.57
				OBS-952056	जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. की कटौती न करना ।		
				OBS-955331	डी.एफ.ओ./डी.डी.ओ. की मंजूरी के बिना किया गया भुगतान रु. 2,09,454/-		2.09
				OBS-951952	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को जी.एस.टी. का भुगतान ।		
				OBS-952393	एक ही बिल पास कर दो बार रु. 15000/- का भुगतान किया गया		0.15
				OBS-952476	जब्त/जब्त वाहनों का निपटान न करना ।		
				OBS-952626	अवैध कटाई/जब्त वन उपज का निपटान न करना ।		
				OBS-952563	अतिक्रमित वनभूमि का खाली न करने के कारण 49.40 लाख रुपये के राजस्व का अवरोध ।		49.40
				OBS-953353	माल/सेवा प्रदाता के बिल पारित करने में अनियमितता ।		
				OBS-955095	खाई काटने, तालाब खोदने व अन्य कार्यों में प्रयुक्त वाहनों के वाउचर में अनियमितता ।		
7	34/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा		OBS-983624	दंडात्मक प्रतिपूर्ति भत्ते की वसूली न होना ।		
				OBS-982087	जल संरचना (चेक डैम) का निर्माण।		
				OBS-974138	अतिक्रमित वनभूमि को खाली न कराने के कारण 109.72 लाख		109.72

					रुपये के राजस्व का अवरोध		
				OBS-989896	33.38 लाख रुपये की रोयल्टी की कटौती न करना		33.38
				OBS-974011	जब्त वन उपज/अदावाकृत उपज का निपटान न होने के कारण राजस्व अवरोधन		
				OBS-988762	अपंजीकृत एजेंसियों/आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के कारण अनियमित व्यय		
				OBS-972832	पर्याप्त निधि का समर्पण और योजना का क्रियान्वयन न करना		
				OBS-973277	जब्त/जब्त वाहनों का निपटान न होने के कारण राजस्व अवरोधन		
				OBS-977930	अधिसूचित वनभूमि का सीमांकन न किये जाने से वन क्षेत्र में अतिक्रमण हो सकता है		
				OBS-981047	प्रभाग को पूर्ण अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी		
				OBS-982014	कार्य योजना के अनुमोदन के बिना राज्य योजना स्कीम पर अनियमित व्यय		
				OBS-983585	सीए भूमि उपलब्ध न कराना		
				OBS-988902	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों को ढुलाई प्रभार/कार्य निष्पादन का अनियमित भुगतान		
				OBS-989137	माल एवं सेवा कर पर टी.डी.एस. की कटौती न करना		
8	36/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज		OBS-1004799	चंदुला-सिमलगोड़ा पत्थर खनन परियोजना (69.93 हेक्टेयर) के लिए झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड से प्रतिपूरक शुल्क की वसूली नहीं हुई		
				OBS-1004085	जब्त वन उपज का निपटान न होने के कारण राजस्व अवरोधन		
				OBS-1004341	अतिक्रमित वनभूमि को खाली न कराने के कारण 23.06 लाख रुपये के राजस्व का अवरोध		23.06
				OBS-1014583	अपंजीकृत एजेंसियों/आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई वस्तुओं/प्राप्त सेवाओं के कारण अनियमित व्यय हुआ		
				OBS-1004090	जब्त/जब्त वाहनों का निपटान न होने के कारण राजस्व अवरोधन		
				OBS-1004236	प्रभाग को पूर्ण अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी		
				OBS-1008502	अधिसूचित वनभूमि का सीमांकन न किये जाने से वन क्षेत्र में		

					अतिक्रमण हो सकता है ।		
				OBS-1008663	एन.पी.वी. योजना (कैम्पा) के अंतर्गत चेक डैम का निर्माण ।		
				OBS-1008829	गैर वनभूमि को वन भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है ।		
				OBS-1014537	जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. की कटौती न करना ।		
				OBS-1014897	आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से दंडात्मक रोयल्टी और अन्य वैधानिक शुल्क की कटौती न करना ।		
				OBS-1014929	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों को परिवहन शुल्क के रूप में अनियमित भुगतान ।		
9	38/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर		OBS-1018409	वन अग्रिम का समायोजन न किया जाना ।		
				OBS-1011428	अवरुद्ध/काली सूची में डाले गए वाहनों के विरुद्ध अनियमित भुगतान 12.03 लाख रुपये ।		12.03
				OBS-1010514	रोयल्टी की कटौती न की गई रु. 4.70		4.7
				OBS-1010700	स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) की गैर कटौती रु. 18,179		0.18
				OBS-1010511	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता को जी.एस.टी. का अनियमित भुगतान।		
				OBS-1010662	अपंजीकृत डीलरों/फर्म से सेवायें प्राप्त करना ।		
				OBS-1010668	खाई काटने, सामग्री की ढुलाई के वाहनों के वाउचर में अनियमितता।		
				OBS-1013541	जब्त/अधिकृत वाहनों का निपटान न करना ।		
				OBS-1013673	अतिक्रमित वनभूमि को खाली न कराने के कारण राजस्व अवरोध ।		
				OBS-1017827	एफसी अधिनियम के तहत चरण-I और II अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन न करना ।		
					ए) एड होक-कैम्पा खाते में प्रतिपूरक वनरोपण निधि जमा न करना ।		
					बी) प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में घोषित न करना ।		
				OBS-1017887	खनिजों के अवैध उत्खनन के मामलों का निपटारा न होने के कारण राजस्व अवरोधन ।		

				OBS-1017893	जब्त वन उपज/अदावाकृत उपज का निपटान न करना ।		
10	39/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद		OBS-1016606	विभिन्न निर्माण और कोयला परियोजनाओं में 8823 पेड़ों के प्रत्यारोपण और 284112 पेड़ों के प्रतिपूरक वनरोपण के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) के आदेश का पालन न करना ।		
				OBS-1014997	48.35271 हेक्टेयर अतिक्रमित वन भूमि को बेदखल न किया जाना ।		
				OBS-1017485	जब्त वन उपज का निपटान न करना/अवैध कटाई न करना ।		
				OBS-1016353	जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. की कटौती न करना और कार्य का संदिग्ध निष्पादन ।		
				OBS-1017455	वन क्षेत्र से जब्त खनिजों का निपटान न करने के कारण 3.17 लाख रुपये के राजस्व का अवरोधन ।		3.17
				OBS-1014978	अभियोजन रिपोर्ट का विलंब से प्रस्तुत होना ।		
				OBS-1014986	गोविंदपुर-टाटा-गिरिडीह पथ का निर्माण ।		
					ए) प्रतिपूरक वन रोपण प्रथम चरण (I-प्रधान अनुमोदन) में शामिल नहीं है ।		
					बी) गोविंदपुर-टुंडी-गिरिडीह सड़क में पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण की निगरानी में विफलता		
				OBS-1017439	जब्त वाहनों की नीलामी न करना।		
				OBS-1017716	नकद लेखा शीर्ष (878200103010102) एचपीसी, महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को प्रस्तुत न करने के संबंध में ।		
11	40/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार	OBS-1053752		लघु वनोपज उन्नयन योजना पर निष्क्रिय व्यय 51.831 लाख रुपये।	51.831	
				OBS-1049392	अतिक्रमित वन भूमि को खाली न कराने के कारण सरकारी राजस्व की हानि ।		
				OBS-1047767	कार्य योजना के अनुमोदन के बिना राज्य योजना स्कीम पर अनियमित व्यय ।		
				OBS-1052028	पर्याप्त निधि का समर्पण और		

					योजना का क्रियान्वयन न करना ।		
				OBS-1049374	अवैध अतिक्रमण, चराई और गोलीबारी के कारण राजस्व अवरोधन ।		
				OBS-1050242	जब्त वनोपज का निस्तारण न होने से राजस्व अवरोधन 237.23 लाख		237.23
				OBS-1058510	गाड़ी शुल्क का अनियमित भुगतान और कार्य का निष्पादन ।		
				OBS-1056366	मेसर्स कार्पोरेट पावर लिमिटेड (अभिजित ग्रुप) द्वारा चंदवा से नामकुम तक 400 केवी/डीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 26.686 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण-1 अनुमोदन की निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करना तथा 86.26 86.26 लाख रुपये के एनपीवी की वसूली न करना ।		86.26
				OBS-1055084	झारखण्ड के लातेहार जिले में टोरी और शिवपुर के बीच नई बीजी लाइन की तीन लाइनों की कनेक्टिविटी के लिए बिराटोली-टोरी (फ्लाई ओवर) लाइन कनेक्शन और बिराटोली-महुआमिलन (सर्फेस लाइन लिंक) के निर्माण के लिए 2.537 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए पूर्व मध्य रेलवे से 73.27 लाख रुपये के प्रतिपूरक शुल्क की वसूली नहीं की गई ।		73.27
				OBS-1058484	खनन नियमों का पालन न करने के कारण रॉयल्टी की कटौती न करना ।		
				OBS-1058661	अपंजीकृत एजेंसियों/आपूर्तिकर्ताओं से माल के खरीद/सेवाएं प्राप्त करने के कारण अनियमित व्यय ।		
				OBS-107669	अधिसूचित वन भूमि का सीमांकन न होने से वन क्षेत्र में अतिक्रमण की सम्भावना ।		
				OBS-1047727	गैर-वन भूमि को वन भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है ।		
				OBS-1050226	प्रभाग को पूर्ण अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी ।		
				OBS-1051544	जब्त/जब्त वाहनों का निपटान न होने के कारण राजस्व अवरोधन ।		
				OBS-1058393	जी.एस.टी. और सेवा पर टी.डी.एस.		

					की कटौती न करना ।		
12	42/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर		OBS-1051108	निविदा/कोटेशन के बिना कार्य का निष्पादन ।		
				OBS-1050247	सरकारी राजस्व की वसूली न होना 26.66 लाख रुपये		26.66
				OBS-1049805	उच्चाधिकार समिति द्वारा लगाई गई शर्त का अनुपालन न करना ।		
				OBS-1049940	जब्त/अधिकृत वाहनों का निपटान न करना ।		
				OBS-1050035	वन क्षेत्र का सीमांकन न किया जाना ।		
				OBS-1050094	चरण-I अनुमोदन की निर्धारित शर्त का अनुपालन न करना ।		
				OBS-1051258	वन भूमि के परिवर्तन हेतु प्रस्ताव लंबित है ।		
				OBS-1050861	स्रोत पर कर कटौती न करना ।		
13	53/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा (दक्षिण)		OBS-1151552	उपयोगकर्ता एजेंसी सीसीएल से एनपीवी, सीए और पीसीए की वसूली न होना 40.21 करोड़ रुपये।		4021.00
				OBS-1149834	अतिक्रमित वन भूमि को खाली न कराने से राजस्व की हानि ।		
				OBS-1156837	अपंजीकृत एजेंसियों/आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई वस्तुओं/प्राप्त सेवाओं के कारण अनियमित व्यय हुआ ।		
				OBS-1151430	जब्त वनोपज का निस्तारण न होने से राजस्व अवरोध 57.73 लाख रुपये ।		57.73
				OBS-1149989	अवैध चराई, गोलीबारी और आरा मियों के कारण राजस्व की हानि ।		
				OBS-1154407	लघु वनोपज उन्नयन योजना पर निष्क्रिय व्यय 27.91 लाख रुपये ।		27.91
				OBS-1153215	मिटटी के चेक बांधों का निर्माण ।		
					I. जी.एस.टी. के कारण रुपये 1.15 लाख का अत्यधिक प्रावधान और व्यय ।		1.15
					II. निविदा आमंत्रित किये बिना कार्य का निष्पादन		
					III. रॉयल्टी की कटौती न करना ।		
					IV. श्रम उपकर की कटौती न करना ।		
				OBS-1161803	वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावों को रद्द न करना ।		

				OBS-1144722	जब्त/जब्त की वाहनों का निस्तारण न होने से राजस्व अवरुद्ध ।		
				OBS-1149579	प्रभाग को पूर्ण अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी ।		
				OBS-1156915	जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. की कटौती न करना ।		
				OBS-1163474	आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों को दुलाई प्रभार/कार्य निष्पादन का अनियमित भुगतान ।		
14	63/2023-24	कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका		OBS-1224010	झारखंड के दुमका जिले में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, पुलिस लाइन और डी.आई.जी. आवास और राजभवन के लिए 14.217 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन (अतिक्रमण का पूर्वव्यापी अनुमोदन/नियमितीकरण) के मामले में सैधांतिक अनुमोदन में शर्तों का पालन न करना ।		
					शर्त क्रमांक -11 का पालन न करना : आरसीसी सीमा स्तंभों का निर्माण ।		
				OBS-1224690	कार्ययोजना के बिना कार्य का निष्पादन ।		
				OBS-1224697	कम्पार्टमेंट के इतिहास का रख-रखाव न करना ।		
				OBS-1225248	प्रादेशिक प्रभाग को वृक्षारोपण क्षेत्र का हस्तांतरण न करना ।		
				OBS-1228287	मसानजोर, दुमका में इको पर्यटन अवसंरचना का विकास ।		
				OBS-1230159	दुमका में बंदरजोरी जैव विविधता पार्क का विकास ।		
				OBS-1236810	आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से लघु खनिजों पर जी.एस.टी. और रॉयल्टी पर टी.डी.एस. की कटौती न करना ।		
				OBS-1238085	कैम्पा निधि के अंतर्गत निष्पादित कार्यों से संबंधित पालीगॉन अपलोड करने के संबंध में ।		
				OBS-1238093	मानव शक्ति की कमी ।		
15	67/2023-24	झारखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय, झारखण्ड, रांची	OBS-1244160		निजी एजेंसियों द्वारा पी.बी.आर. तैयार करना : 7.61 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय ।	761.00	
				OBS-1242648	लौटाया गया अनुदान : 10.72		1072.00

					करोड़ रुपये		
				OBS-1242722	निजी एजेंसियों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन में अनियमित व्यय ।		
				OBS-1242806	जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संचालन के लिए स्टार्टअप फंड का आवंटन न किया जाना ।		
				OBS-1242818	कार्यालय परिसर के अभाव में बी.एम.सी. (जैव विविधता प्रबंधन समितियों) की भूमिका और कार्यों का संदिग्ध निर्वहन ।		
				OBS-1242883	जिला स्तर पर बी०एम०सी० को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता समूहों (आई०एस०जी०) का गठन न किया जाना ।		
				OBS-1242997	कैश बुक के रख-रखाव में अनियमितताएं ।		
				OBS-1243733	मानव संसाधन की कमी ।		
				OBS-1243963	महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा प्रस्तुत न करना ।		
				OBS-1244192	झारखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा नियमित बैठक आयोजित न करना ।		
				OBS-1244701	नोडल अधिकारियों द्वारा बी.एम.सी. के कार्य की निगरानी और पी.बी.आर. तैयार करने में विफलता ।		

अनुबंध -क

कंडिका-2.1

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			मार्च	फरवरी	जनवरी	दिसम्बर	नवम्बर	अक्टूबर	सितम्बर	अगस्त	जुलाई	जून	मई	अप्रैल
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	12-04-24	05-03-24	05-02-24	05-01-24	05-12-23	05-11-23	05-10-23	05-09-23	05-08-23	05-07-23	05-06-23	05-05-23
1	BKRFOR232	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल बोकारो	10-05-2024	14-03-2024	15-02-2024	17-01-2024	14-12-2023	20-11-2023	16-10-2023	20-09-2023	21-08-2023	17-7-2023	20-06-2023	18-05-2023
2	BKRFOR280	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो	05-04-2024	11-03-2024	09-02-2024	16-01-2024	01-12-2023	10-11-2023	09-10-2023	08-09-2023	10-08-2023	10-07-2023	02-06-2023	12-05-2023
3	BKRFOR289	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो	05-04-2024	18-03-2024	07-02-2024	08-01-2024	08-12-2023	02-11-2023	10-10-2023	11-09-2023	08-08-2023	12-07-2023	05-06-2023	08-05-2023
4	BKRFOR295	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, बोकारो	04-04-2024	11-03-2024	08-02-2024	08-01-2024	14-12-2023	02-11-2023	03-10-2023	06-09-2023	04-08-2023	07-07-2023	01-06-2023	18-05-2023
5	CTRFOR065	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	09-05-2024	15-03-2024	15-02-2024	16-01-2024	08-12-2023	08-11-2023	13-10-2023	11-09-2023	16-08-2023	17-07-2023	19-06-2023	11-05-2023
6	CTRFOR082	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	09-05-2024	18-03-2024	13-02-2024	08-01-2024	11-12-2023	10-11-2023	09-10-2023	11-09-2023	08-08-2023	06-07-2023	02-06-2023	08-05-2023
7	CTRFOR244	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा	08-04-2024	01-03-2024	07-02-2024	04-01-2024	04-12-2023	07-11-2023	09-10-2023	08-09-2023	07-08-2023	06-07-2023	01-06-2023	03-05-2023
8	DGRFOR063	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	09-05-2024	14-03-2024	16-02-2024	12-01-2024	15-12-2023	17-11-2023	10-10-2023	14-09-2023	04-08-2023	07-07-2023	08-06-2023	23-05-2023
9	DGRFOR194	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	08-05-2024	14-03-2024	16-02-2024	12-01-2024	15-12-2023	09-11-2023	06-10-2023	13-09-2023	11-08-2023	11-07-2023	08-06-2023	11-05-2023
10	DGRFOR281	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर	04-04-2024	05-03-2024	05-02-2024	08-01-2024	04-12-2023	02-11-2023	05-10-2023	11-09-2023	08-08-2023	10-07-2023	02-06-2023	05-05-2023
11	DGRFOR288	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर	05-04-2024	06-03-2024	05-02-2024	05-01-2024	05-12-2023	07-11-2023	09-10-2023	06-09-2023	07-08-2023	10-07-2023	05-06-2023	05-05-2023

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति										
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24
12	DHNFOR061	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	18-05-2023	07-06-2023	11-07-2023	11-08-2023	13-09-2023	16-10-2023	09-11-2023	22-12-2023	12-01-2024	12-02-2024	20-03-2024
13	DMKFOR001	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	09-05-2023	05-06-2023	07-08-2023	09-08-2023	06-09-2023	10-10-2023	24-11-2023	15-12-2023	16-01-2024	19-02-2024	27-03-2024
14	DMKFOR154	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका	03-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	07-08-2023	06-09-2023	05-10-2023	02-11-2023	04-12-2023	08-01-2024	05-02-2024	05-03-2024
15	DMKFOR212	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर), दुमका	05-05-2023	08-06-2023	06-07-2023	04-08-2023	06-09-2023	19-10-2023	08-11-2023	07-12-2023	04-01-2024	06-02-2024	05-03-2024
16	DMKFOR233	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	01-05-2023	05-06-2023	06-07-2023	11-08-2023	06-09-2023	10-10-2023	06-11-2023	07-12-2023	08-01-2024	08-02-2024	12-03-2024
17	DMKFOR282	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका	03-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	07-08-2023	06-09-2023	05-10-2023	02-11-2023	04-12-2023	08-01-2024	05-02-2024	05-03-2024
18	DMKFOR294	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संधाल परगना, दुमका	09-05-2023	05-06-2023	06-07-2023	09-08-2023	06-09-2023	09-10-2023	02-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	06-02-2024	13-03-2024
19	DRNFOR169	उप वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, राँची	03-05-2023	02-06-2023	04-07-2023	01-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	06-11-2023	01-12-2023	03-01-2024	02-02-2024	05-03-2024
20	DRNFOR176	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची	03-05-2023	02-06-2023	04-07-2023	07-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	04-12-2023	03-01-2024	02-02-2024	04-03-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24	12-04-24
21	DRNFOR181	वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, राँची	10-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	17-10-2023	06-11-2023	12-12-2023	19-01-2024	16-02-2024	15-03-2024	09-05-2024
22	DRNFOR183	वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची	15-05-2023	06-06-2023	06-07-2023	03-08-2023	08-09-2023	06-10-2023	06-11-2023	05-12-2023	05-01-2024	06-02-2024	12-03-2024	24-04-2024
23	DRNFOR185	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची	04-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	06-09-2023	03-10-2023	08-11-2023	06-12-2023	08-01-2024	16-02-2024	12-03-2024	29-04-2024
24	DRNFOR189	मुख्य वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची	18-05-2023	16-06-2023	06-07-2023	17-08-2023	15-09-2023	17-10-2023	23-11-2023	18-12-2023	17-01-2024	22-02-2024	08-04-2024	08-05-2024
25	DRNFOR205	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची	03-05-2023	02-06-2023	06-07-2023	04-08-2023	01-09-2023	04-10-2023	02-11-2023	06-12-2023	04-01-2024	05-02-2024	05-03-2024	03-04-2024
26	DRNFOR209	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची	18-05-2023	16-06-2023	11-07-2023	21-08-2023	22-09-2023	16-10-2023	24-11-2023	21-12-2023	17-01-2024	22-02-2024	04-04-2024	07-05-2024
27	DRNFOR210	मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची	09-05-2023	06-06-2023	03-07-2023	01-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	07-11-2023	06-12-2023	04-01-2024	02-02-2024	05-03-2024	19-04-2024
28	DRNFOR211	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, राँची	03-05-2023	01-06-2023	05-07-2023	01-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	01-12-2023	04-01-2024	02-02-2024	04-03-2024	09-04-2024
29	DRNFOR214	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	04-05-2023	07-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	05-02-2024	04-03-2024	04-04-2024
30	DRNFOR215	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना एवं अनुश्रवण प्रमण्डल, राँची	08-05-2023	02-06-2023	04-07-2023	04-08-2023	04-09-2023	06-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	03-01-2024	08-02-24	07-03-2024	08-04-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24	12-04-24
31	DRNFOR216	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जन सम्पर्क, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची	03-05-2023	02-06-2023	03-07-2023	02-08-2023	29-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	04-12-2023	04-01-2024	02-02-2024	04-03-2024	03-04-2024
32	DRNFOR217	उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची	08-05-2023	02-6-2323	05-07-2023	03-08-2023	06-09-2023	05-10-2023	08-11-2023	04-12-2023	04-01-2024	02-02-2024	05-03-2024	04-04-2024
33	DRNFOR218	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जनजातीय कोषांग, झारखण्ड, राँची	08-05-2023	02-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	11-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	01-02-2024	04-03-2024	02-04-2024
34	DRNFOR219	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची	09-05-2023	09-6-2023	11-07-2023	03-08-2023	01-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	04-12-2023	03-01-2024	05-02-2024	05-03-2024	02-04-2024
35	DRNFOR225	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	18-05-2023	01-06-2023	04-07-2023	17-08-2023	15-09-2023	16-10-2023	20-11-2023	19-12-2023	22-01-2024	21-02-2024	15-03-2024	11-05-2024
36	DRNFOR237	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची	22-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	06-09-2023	10-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	07-02-2024	13-03-2024	19-04-2024
37	DRNFOR245	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची	02-05-2023	02-06-2023	04-07-2023	07-08-2023	06-09-2023	06-10-2023	01-10-2023	04-12-2023	04-01-2024	06-02-2024	06-03-2024	05-04-2024
38	DRNFOR246	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची	04-05-2023	01-06-2023	04-07-2023	08-08-2023	04-09-2023	09-10-2023	02-11-2023	05-12-2023	05-01-2024	05-02-2024	04-03-2024	25-04-2024
39	DRNFOR247	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची	02-05-2023	06-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	02-11-2023	01-12-2023	02-01-2024	06-02-2024	01-03-2024	09-04-2024
40	DRNFOR248	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची	18-05-2023	07-06-2023	10-07-2023	08-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	06-11-2023	06-12-2023	03-01-2024	02-02-2024	06-03-2024	08-04-2024
41	DRNFOR249	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड	04-05-2023	02-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	04-12-2023	02-01-2024	02-02-2024	05-03-2024	05-04-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24	12-04-24
42	DRNFOR250	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०, झारखण्ड	02-05-2023	02-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	05-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	01-02-2024	04-03-2024	02-04-2024
43	DRNFOR255	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, राँची	09-05-2023	08-06-2023	04-07-2023	04-08-2023	06-09-2023	06-10-2023	03-11-2023	06-12-2023	04-01-2024	06-02-2024	05-03-2024	30-04-2024
44	DRNFOR256	मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड	02-05-2023	08-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	12-09-2023	05-10-2023	03-11-2023	06-12-2023	18-01-2024	05-02-2024	13-03-2024	18-04-2024
45	DRNFOR257	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, राँची	04-05-2023	06-06-2023	04-07-2023	03-08-2023	04-09-2023	03-10-2023	02-11-2023	05-12-2023	03-01-2024	06-02-2024	04-03-2024	08-04-2024
46	DRNFOR258	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड	03-05-2023	06-06-2023	04-07-2023	02-08-2023	01-09-2023	05-10-2023	01-11-2023	01-12-2023	01-01-2024	02-02-2024	01-03-2024	02-04-2024
47	DRNFOR259	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड	19-05-2023	09-06-2023	05-07-2023	07-08-2023	12-09-2023	05-10-2023	07-11-2023	05-12-2023	02-01-2024	06-02-2024	05-03-2024	15-04-2024
48	DRNFOR260	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची	02-05-2023	05-06-2023	04-07-2023	03-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	01-11-2023	01-12-2023	04-01-2024	01-02-2024	06-03-2024	05-04-2024
49	DRNFOR263	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	19-05-2023	12-06-2023	18-07-2023	22-08-2023	18-09-2023	25-10-2023	24-11-2023	22-12-2023	30-01-2024	23-02-2024	04-04-2024	10-05-2024
50	DRNFOR264	उप वन संरक्षक, योजना, गैर-जनजातीय क्षेत्र, राँची	04-05-2023	05-06-2023	11-07-2023	08-08-2023	11-09-2023	09-10-2023	06-11-2023	08-12-2023	09-01-2024	09-02-2024	07-03-2024	15-04-2024
51	DRNFOR265	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची	08-05-2023	01-06-2023	06-07-2023	07-08-2023	04-09-2023	05-10-2023	09-11-2023	14-12-2023	10-01-2024	08-02-2024	20-03-2024	06-05-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24	12-04-24
52	DRNFOR291	उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची	04-05-2023	01-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	05-09-2023	06-10-2023	06-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	05-02-2024	05-03-2024	15-04-2024
53	DRNFOR292	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची	04-05-2023	01-06-2023	05-07-2023	10-08-2023	12-09-2023	13-10-2023	14-11-2023	12-12-2023	08-01-2024	06-02-2024	13-03-2024	02-04-2024
54	DRNFOR296	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची	03-05-2023	06-06-2023	07-07-2023	04-08-2023	06-09-2023	06-10-2023	02-11-2023	05-12-2023	18-01-2024	16-02-2024	05-03-2024	03-04-2024
55	DRNFOR297	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, झारखण्ड, राँची	02-05-2023	02-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	05-09-2023	09-10-2023	03-11-2023	04-12-2023	04-01-2024	06-02-2024	20-03-2024	04-04-2024
56	GDDFOR164	वनप्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	22-05-2023	02-06-2023	07-07-2023	08-08-2023	06-09-2023	09-10-2023	08-11-2023	08-12-2023	17-01-2024	08-02-2024	11-03-2024	09-05-2024
57	GMLFOR121	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	24-05-2023	20-06-2023	20-07-2023	17-08-2023	18-09-2023	20-10-2023	17-11-2023	12-12-2023	18-01-2024	16-02-2024	15-03-2024	09-05-2024
58	GMLFOR123	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, गुमला	08-05-2023	08-06-2023	13-07-2023	10-08-2023	06-09-2023	09-10-2023	06-11-2023	05-12-2023	12-01-2024	16-02-2024	07-03-2024	24-04-2024
59	GMLFOR290	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला	08-05-2023	09-06-2023	07-07-2023	11-08-2023	05-09-2023	06-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	10-01-2024	09-02-2024	13-03-2024	18-04-2024
60	GRDFOR243	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह	04-05-2023	06-06-2023	10-07-2023	11-08-2023	04-09-2023	11-10-2023	09-11-2023	13-12-2023	09-01-2024	07-02-2024	11-03-2024	08-04-2024
61	GRDFOR283	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	22-05-2023	08-06-2023	11-07-2023	14-08-2023	13-09-2023	17-10-2023	21-11-2023	19-12-2023	24-01-2024	22-02-2024	20-03-2024	11-05-2024
62	GRDFOR284	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	18-05-2023	12-06-2023	13-07-2023	10-08-2023	15-09-2023	13-10-2023	17-11-2023	19-12-2023	18-01-2024	21-02-2024	22-03-2024	09-05-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति										
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	12-04-24	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24
63	GRHFOR131	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (दक्षिणी) वन प्रमण्डल, गढ़वा	10-05-2024	12-05-2023	07-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	12-09-2023	09-10-2023	06-11-2023	12-12-2023	11-01-2024	16-02-2024
64	GRHFOR132	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (उत्तरी) वन प्रमण्डल, गढ़वा	10-05-2024	12-05-2023	07-06-2023	11-07-2023	10-08-2023	14-09-2023	09-10-2023	09-11-2023	15-12-2023	12-01-2024	15-02-2024
65	GRHFOR135	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	08-05-2024	15-05-2023	07-06-2023	05-07-2023	07-08-2023	20-09-2023	12-10-2023	07-11-2023	08-12-2023	10-01-2024	12-02-2024
66	GRHFOR293	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा	24-04-2024	12-05-2023	28-06-2023	05-07-2023	08-08-2023	12-09-2023	09-10-2023	09-11-2023	06-12-2023	10-01-2024	15-02-2024
67	HZBFOR053	निदेशक, वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	07-05-2024	22-05-2023	07-06-2023	03-07-2023	04-08-2023	04-09-2023	13-10-2023	03-11-2023	08-12-2023	10-01-2024	12-02-2024
68	HZBFOR054	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग	03-04-2024	03-05-2023	01-06-2023	05-07-2023	02-08-2023	06-09-2023	06-10-2023	03-11-2023	04-12-2023	05-01-2024	05-02-2024
69	HZBFOR057	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10-05-2024	08-05-2023	12-06-2023	05-07-2023	14-08-2023	13-09-2023	13-10-2023	14-11-2023	22-12-2023	22-01-2024	16-02-2024
70	HZBFOR058	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10-05-2024	17-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	06-09-2023	09-10-2023	10-11-2023	11-12-2023	11-01-2024	16-02-2024
71	HZBFOR105	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, हजारीबाग पश्चिमी	04-04-2024	10-05-2023	06-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	04-09-2023	06-10-2023	02-11-21023	06-12-2023	22-01-2024	05-02-2024
72	HZBFOR107	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	07-05-2024	04-05-2023	07-06-2023	04-07-2023	11-08-2023	08-09-2023	06-10-2023	09-11-2023	13-12-2023	11-01-2024	12-02-2024
73	HZBFOR152	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	09-05-2024	17-05-2023	05-06-2023	07-07-2023	10-08-2023	20-09-2023	17-10-2023	17-11-2023	20-12-2023	23-01-2024	11-03-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति										
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24
74	HZBFOR196	वन संरक्षक, कार्य नि योजना अंचल, हजारीबाग	04-05-2023	01-06-2023	03-07-2023	01-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	06-11-2023	04-12-2023	03-01-2024	02-02-2024	05-03-2024
75	HZBFOR270	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग	04-05-2023	07-06-2023	03-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	08-11-2023	07-12-2023	05-01-2024	09-02-2024	06-03-2024
76	HZBFOR272	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग	04-05-2023	08-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	06-09-2023	06-10-2023	03-11-2023	01-12-2023	05-01-2024	02-02-2024	06-03-2024
77	JMTFOR165	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	09-05-2023	07-06-2023	07-07-2023	07-08-2023	20-09-2023	20-10-2023	10-11-2023	18-12-2023	24-01-2024	21-02-2024	22-03-2024
78	JSRFOR114	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर	09-05-2023	07-06-2023	11-07-2023	07-08-2023	08-09-2023	06-10-2023	02-11-2023	05-12-2023	08-01-2024	06-02-2024	06-03-2024
79	JSRFOR116	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	05-05-2023	12-06-2023	10-07-2023	11-08-2023	14-09-2023	10-10-2023	10-11-2023	19-12-2023	19-01-2024	20-02-2024	11-03-2024
80	JSRFOR267	वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर	08-05-2023	08-06-2023	10-07-2023	11-08-2023	04-09-2023	06-10-2023	08-11-2023	11-12-2023	05-01-2024	06-02-2024	12-03-2024
81	JSRFOR268	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	04-05-2023	06-06-2023	07-07-2023	08-08-2023	11-09-2023	13-10-2023	14-11-2023	15-12-2023	12-01-2024	12-02-2024	15-03-2024
82	JSRFOR269	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	08-05-2023	09-06-2023	04-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	04-10-2023	09-11-2023	06-12-2023	12-01-2024	12-02-2024	15-03-2024
83	JSRFOR298	वन संरक्षक, कार्य नि योजना अंचल, चाईबासा, जमशेदपुर	08-05-2023	05-06-2023	10-07-2023	07-08-2023	06-09-2023	13-10-2023	08-11-2023	04-12-2023	05-01-2024	07-02-2024	06-03-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति										
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24
84	KDMFOR229	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	23-05-2023	07-06-2023	05-07-2023	11-08-2023	18-09-2023	16-10-2023	14-11-2023	19-12-2023	17-01-2024	16-02-2024	20-03-2024
85	KDMFOR230	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	03-05-2023	10-07-2023	10-07-2023	02-08-2023	08-09-2023	04-10-2023	09-11-2023	13-12-2023	12-01-2024	15-02-2024	14-03-2024
86	KHNFOR226	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	22-05-2023	07-06-2023	07-07-2023	10-08-2023	18-09-2023	16-10-2023	20-11-2023	18-12-2023	22-01-2024	21-02-2024	18-03-2024
87	LDGFOR285	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	19-05-2023	14-06-2023	06-07-2023	10-08-2023	22-09-2023	16-10-2023	17-11-2023	15-12-2023	17-01-2024	21-02-2024	18-03-2024
88	LTRFOR234	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल लातेहार	11-05-2023	05-06-2023	10-07-2023	08-08-2023	08-09-2023	06-10-2023	09-11-2023	06-12-2023	10-01-2024	15-02-2024	18-03-2024
89	LTRFOR235	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, लातेहार	11-05-2023	22-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	10-01-2024	07-02-2024	06-03-2024
90	LTRFOR236	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	05-05-2023	08-06-2023	06-07-2023	04-08-2023	14-09-2023	19-10-2023	05-12-2023	20-12-2023	19-01-2024	15-02-2024	22-03-2024
91	PKRFOR162	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	06-05-2023	05-06-2023	19-07-2023	04-08-2023	15-09-2023	19-10-2023	09-11-2023	11-12-2023	24-01-2024	22-02-2024	21-03-2024
92	PLMFOR074	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, डालटनगंज	15-05-2023	07-06-2023	03-07-2023	07-08-2023	21-09-2023	10-10-2023	07-11-2023	06-12-2023	10-01-2024	06-02-2024	07-03-2024
93	PLMFOR076	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू	04-05-2023	06-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	05-01-2024	08-02-2024	05-03-2024
94	PLMFOR238	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर	09-05-2023	28-06-2023	10-07-2023	04-08-2023	06-09-2023	05-10-2023	07-11-2023	06-12-2023	09-01-2024	09-02-2024	20-03-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24	12-04-24
95	PLMFOR274	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज, मेदिनीनगर	03-05-2023	02-06-2023	05-07-2023	03-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	03-11-2023	01-12-2023	11-01-2024	08-02-2024	05-03-2024	22-04-2024
96	PLMFOR275	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू	09-05-2023	28-06-2023	12-07-2023	08-08-2023	08-09-2023	09-10-2023	14-11-2023	12-12-2023	17-01-2024	05-02-2024	15-03-2024	15-04-2024
97	PLMFOR278	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	03-05-2023	09-06-2023	04-07-2023	14-08-2023	12-09-2023	10-10-2023	08-11-2023	11-12-2023	19-02-2024	19-02-2024	21-03-2024	10-05-2024
98	PLMFOR279	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	08-05-2023	08-06-2023	05-07-2023	07-08-2023	18-09-2023	12-10-2023	03-11-2023	01-12-2023	09-01-2024	19-02-2024	04-04-2024	10-05-2024
99	PLMFOR287	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	22-05-2023	20-06-2023	07-07-2023	21-08-2023	20-09-2023	20-10-2023	01-12-2023	20-12-2023	19-01-2024	19-02-2024	22-03-2024	13-05-2024
100	RMGFOR231	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	12-05-2023	06-06-2023	07-07-2023	11-08-2023	08-09-2023	09-10-2023	10-11-2023	08-12-2023	11-01-2024	16-02-2024	15-03-2024	09-05-2024
101	SBJFOR193	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	06-05-2023	06-06-2023	17-07-2023	08-08-2023	12-09-2023	18-10-2023	14-11-2023	18-12-2023	22-01-2024	23-02-2024	09-04-2024	08-05-2024
102	SDGFOR167	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	12-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	14-08-2023	04-09-2023	09-10-2023	08-11-2023	12-12-2023	10-01-2024	13-02-2024	07-03-2024	08-05-2024
103	SDGFOR228	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	08-05-2023	06-06-2023	05-07-2023	10-08-2023	13-09-2023	13-10-2023	10-11-2023	13-12-2023	17-01-2024	12-02-2024	18-03-2024	09-05-2024
104	SGHFOR089	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	16-05-2023	02-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	08-09-2023	09-10-2023	07-11-2023	11-12-2023	09-01-2024	09-02-2024	13-03-2024	09-05-2024

क्र. सं.	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2023-24 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23	05-10-23	05-11-23	05-12-23	05-01-24	05-02-24	05-03-24	12-04-24
105	SGHFOR090	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	03-05-2023	02-06-2023	04-07-2023	07-08-2023	08-09-2023	06-10-2023	08-11-2023	08-12-2023	11-01-2024	05-02-2024	07-03-2024	06-05-2024
106	SGHFOR137	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल - II, चाईबासा	23-05-2023	07-06-2023	06-07-2023	08-08-2023	08-09-2023	09-10-2023	09-11-2023	11-12-2023	11-01-2024	12-02-2024	22-03-2024	15-04-2024
107	SGHFOR139	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वनप्रमण्डल, चाईबासा	03-05-2023	06-06-2023	04-07-2023	07-08-2023	11-09-2023	09-10-2023	08-11-2023	11-12-2023	16-01-2024	07-02-2024	15-03-2024	08-05-2024
108	SGHFOR140	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	16-05-2023	06-06-2023	05-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	09-10-2023	07-11-2023	11-12-2023	11-01-2024	08-02-2024	11-03-2024	09-05-2024
109	SGHFOR143	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा राजकीय व्यापार प्रमण्डल, चाईबासा	16-05-2023	05-06-2023	04-07-2023	04-08-2023	21-09-2023	09-10-2023	03-11-2023	04-12-2023	08-01-2024	06-02-2024	04-03-2024	05-04-2024
110	SGHFOR144	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल (तसर), चाईबासा	03-05-2023	01-06-2023	03-07-2023	03-08-2023	18-09-2023	04-10-2023	03-11-2023	05-12-2023	04-01-2024	05-02-2024	05-03-2024	16-04-2024
111	SGHFOR252	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा	08-05-2023	07-06-2023	07-07-2023	08-08-2023	05-09-2023	05-10-2023	06-11-2023	04-12-2023	09-01-2024	05-02-2024	04-03-2024	03-04-2024
112	SGHFOR253	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	16-05-2023	08-06-2023	05-07-2023	07-08-2023	08-09-2023	09-10-2023	08-11-2023	08-12-2023	12-01-2024	12-02-2024	18-03-2024	07-05-2024
113	SKLFOR163	वनप्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	19-05-2023	12-06-2023	06-07-2023	14-08-2023	11-09-2023	27-10-2023	16-11-2023	15-12-2023	19-01-2024	19-02-2024	20-03-2024	06-05-2024

अनुबंध-ख

कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) के अंतर्गत लेखाओं का लेखाकरण करने वाले प्रमंडलों/अंचलों का विस्तृत विवरण :-

क्रम सं०	वन प्रमंडलों/अंचलों के नाम
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, रांची
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०, झारखण्ड, रांची
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, रांची
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, रांची
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, रांची
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, झारखण्ड, रांची
10	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, बोकारो
11	मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, रांची
12	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा
13	वन संरक्षक एवं राज्य वन-वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, रांची
14	वन संरक्षक, योजना अंचल, डोरंडा, रांची
15	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग
16	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर
17	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर
18	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा
19	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा (दक्षिणी) वन प्रमंडल, चतरा
20	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी) वन प्रमंडल, चतरा
21	मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, रांची
22	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, झारखण्ड, रांची
23	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, रांची
24	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित) झारखण्ड, रांची
25	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, रांची
26	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर
27	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर
28	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा
29	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा

30	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, बोकारो
31	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो
32	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर
33	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका
34	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
35	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह
36	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला
37	उप-वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, रांची
38	उप-वन संरक्षक, योजना, गैर-जनजातीय क्षेत्र, रांची
39	उप-वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, रांची
40	उप-वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन, परियोजना, रांची
41	उप-वन संरक्षक, प्रशिक्षण, रांची
42	वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर
43	उप-वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
44	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदीनिनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर, डाल्टनगंज
45	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, गुमला
46	वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद
47	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, रांची
48	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका
49	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला
50	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा
51	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार
52	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़
53	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा
54	वनपाल-सह-वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, महिलोंग, रांची
55	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा, उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा
56	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा
57	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह
58	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह
59	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, हजारीबाग पश्चिमी
60	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग
61	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग
62	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर
63	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा
64	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल, चाइबासा

65	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी
66	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा
67	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची
68	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
69	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा
70	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
71	वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमंडल, रांची
72	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर
73	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर
74	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका
75	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग
76	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो
77	वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहबगंज वन प्रमंडल, साहबगंज
78	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा
79	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा राजकीय व्यापार प्रमंडल, चाईबासा
80	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा
81	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार
82	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग
83	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा
84	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा
85	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका
86	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, रांची
87	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर
88	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा
89	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाहिक वानिकी योजना अनुश्रवण प्रमंडल, रांची
90	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग
91	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, रांची
92	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल (तसर), चाईबासा
93	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, डाल्टनगंज
94	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका

